संख्या- 84 /2025/100 के-2/22-3-2025-17(201)/2025

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 25 मार्च, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश उर्फ पतरका पुत्र स्व0 शोभी, निवासी जनपद-गोरखपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-1910/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-09.01.2025) दिनांक-15.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश उर्फ पतरका पुत्र स्व0 शोभी, जो-ग्राम खुटहन खास टोला-चोरहिया, थाना-गुलरिहा, जनपद-गोरखपुर का निवासी है। दिनांक 25.11.2007 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु0 सोनम उर्फ मनीषा उम्र 12 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त चाकू से गर्दन काटकर हत्या कर दी तथा शव विकृत अवस्था में चेहरे व खोपड़ी की चमड़ी सहित बाल को छिल दिया गया था। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-271/2008 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-376, 302/34, 201/34 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अस्थायी (एक्स कैडर-1) कोर्ट सं0-14, गोरखपुर के आदेश दिनांक 09-10-2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बन्दी द्वारा दिनांक 15.11.2024 तक 16 वर्ष, 11 माह, 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 10 माह, 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 35 वर्ष, 04 माह, 19 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में निरूद्व रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने तथा बन्दी के परिवार की आर्थिक, सामाजिक दशा समयपूर्व रिहाई के उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजेश उर्फ पतरका पुत्र स्व0 शोभी, को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश उर्फ पतरका पुत्र स्व0 शोभी, (बन्दी संख्या-429/2024), निवासी-जनपद-गोरखपुर को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 84/2025/100 के-2/22-3-2025-17(201)/2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 84 /2025/100 के-2/22-3-2025-17(201)/2025

दिनांक 25 मार्च, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश उर्फ पतरका पुत्र स्व0 शोभी, जो-ग्राम खुटहन खास टोला-चोरहिया, थाना-गुलरिहा, जनपद-गोरखपुर का निवासी है। दिनांक 25.11.2007 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कु0 सोनम उर्फ मनीषा उम्र 12 वर्ष के साथ बलात्कार करने के उपरान्त चाकू से गर्दन काटकर हत्या कर दी तथा शव विकृत अवस्था में चेहरे व खोपड़ी की चमड़ी सहित बाल को छिल दिया गया था। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-271/2008 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-376, 302/34, 201/34 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अस्थायी (एक्स कैडर-1) कोर्ट सं0-14, गोरखपुर के आदेश दिनांक 09-10-2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.11.2024 तक 16 वर्ष, 11 माह, 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 10 माह, 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 35 वर्ष, 04 माह, 19 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में निरूद्व रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने तथा बन्दी के परिवार की आर्थिक, सामाजिक दशा समयपूर्व रिहाई के उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजेश उर्फ पतरका पुत्र स्व0 शोभी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।